सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(नियम 15)

अज अदालत संभागीय आयुक्त, उदयपुर (राज0)

श्री लक्ष्मण सिंह पिता देवीसिंह जी राजपूत व अन्य। **बनाम** श्री बाबूसिंह पिता हमेरसिंह जी राजपूत व अन्य।

किस्म मुकदमा निगरानी / अपील / मुकदमा नं. 01 सन्. 2016 अपील

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	
22.01.2018	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। वकील अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजियात के सम्बन्ध में दावा बाबत धारा 88–188 राज. टिनेन्सी एक्ट के तहत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा द्वारा जारी डिक्री की प्रमाणित प्रति पेश कर डिक्री अनुसार कार्यवाही चाहने एवं अपील निष्प्रभावी होने का कथन किया। वकील रेस्पों. ने डिक्री के निर्णय की पालना रोकी जाकर अपील को मेरिट पर सुना जाने का निवेदन किया कि हम वादग्रस्त भूमि के परचेजर है तथा हमारे नाम नामान्तरकरण स्वीकृत हो चुका है। जिससे अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर तहसीलदार बड़गांव द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.08.2015 को बहाल रखा जाने का निवेदन किया। हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया। क्योंकि नामान्तरकरण की समरी कार्यवाही में खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं किये जा सकते हैं तथा दावा के निर्णय / डिक्री अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के पक्ष में दावा डिक्री हो चुका है। जिससे अपील में कोई कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होने से अपील निष्प्रभावी हो चुकी है। डिक्री के निर्णय अनुसार प्रथम क्रेता वादीगण का वाद स्वीकार किया गया एवं द्वितीय विक्रय पत्र नल एण्ड वोईड घोषित किया गया है। दिनांक 21.03.1987 के बाद समस्त कार्यवाही विक्रय पत्र नामान्तरकरण की कार्यवाही अवैध एवं शून्य घोषित की गई है। वादीगणों को उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। जिसमें विवादित नामान्तरकरण भी निष्प्रभावी हो चुका है। वह अब केवल डिक्री अनुसार पालना किया जाना शेष है। जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा करायी जावे। अतः अपील निष्प्रभावी होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।		